बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, http// : bsea.bihar.gov.in, Email: bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 18/09/2023

अधिसूचना

संख्या-नि०प्रा०/नि० 1-10/2022 1836 बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-968 दिनांक 15.06.2022 द्वारा अन्य समितियों के साथ **बांका जिला के फुल्लीडुमर प्रखंड अंतर्गत फुल्लीडुमर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि०** का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। उक्त समिति की मतदाता सूची पर उत्पन्न विवाद के कारण प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-1194 दिनांक 06.07.2022 द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित किया गया। प्राधिकार के पत्रांक- 2324 दिनांक 26.12.2022 द्वारा उक्त समिति की मतदाता सूची के संबंध में आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-40 दिनांक 05.01.2023 द्वारा उक्त समिति के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया।

2. समादेश याचिका संख्या- 464/2023 में दिनांक 01.02.2023 को माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु प्राधिकार के पत्रांक 260 दिनांक 01.02.2023 द्वारा उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम पुन: स्थगित किया गया। निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन के तहत जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका द्वारा जांचोपरांत पत्रांक 1096 दिनांक 08.05.2023 एवं पत्रांक 1543 दिनांक 17.07.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आलोक में अधिसूचना संख्या- 1458 दिनांक 27.07.2023 द्वारा पुन: निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया, किंतु तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका द्वारा उपलब्ध करायी गयी मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ी सामने आयी। इस संदर्भ में जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका के पत्रांक 1636 दिनांक 16.08.2023 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में अधिसूचना संख्या- 1627 दिनांक 17.08.2023 द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित किया गया। स्थगन के पश्चात् जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका के पत्रांक- कैंप-01 दिनांक 25.08.2023 द्वारा संयुक्त जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें जांचोपरांत तैयार की गयी मतदाता सूची सही होने का प्रमाणक भी दिया गया है।

3. उक्त आलोक में **फुल्लीडुमर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि०** का निर्वाचन कार्यक्रम नामांकन के स्तर से निम्नवत निर्धारित किया जाता है-

(i)	अद्यतन संशोधित मतदाता सूची का विनिर्दिष्ट स्थलों पर प्रकाशन	23.09.2023 (शनिवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	05.10.2023 (गुरूवार) एवं 06.10.2023 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	07.10.2023 (शनिवार) एवं 09.10.2023 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	11.10.2023 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	18.10.2023 (बुधवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक

(vi)	मतगणना	18.10.2023 (बुधवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	20.10.2023 (शुक्रवार)

4. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में समिति के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार यथा माइकिंग, ढोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर इश्तेहार आदि चिपकाकर किया जाएगा। दिनांक 23.09.2023 तक इसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

5. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन पदाधिकारी मतदान की तिथि को मतदान प्रतिशत एवं मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

6. निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना के अगले दिन प्राधिकार के वेबसाईट पर http://bsea.bihar.gov.in प्रपत्र-ई 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतगणना के तीन दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) भी प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायेंगे।

7. **बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 20.10.2023 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 122-129 पर देखा जा सकता है।**

(पुरूषोत्तम पासवान)
सचिव।

ज्ञापांक : 1836 पटना/ दिनांक 18/09/2023

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सचिव।

ज्ञापांक : 1836 पटना/ दिनांक 18/09/2023

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), बांका/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०), बांका/ पुलिस अधीक्षक, बांका/ अपर समाहर्त्ता, बांका/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), फुल्लीडुमर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), बांका से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियां अपने स्तर से भी ससमय प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), फुल्लीडुमर को उपलब्ध कराने के साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निदेशित करेंगे।

3. जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका को निदेशित किया जाता है कि संबंधित समिति की अद्यतन संशोधित मतदाता सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), फुल्लीडुमर को दिनांक 22.09.2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सचिव।

ज्ञापांक : 1836 पटना/ दिनांक 18/09/2023

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 1836 /पटना, दिनांक 18/09/2023

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

सचिव।

ज्ञापांक : 1836 /पटना, दिनांक 18/09/2023

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

सचिव।

ज्ञापांक : 1836 /पटना, दिनांक 18/09/2023

प्रतिलिपि: श्री मुकेश कुमार ठाकुर, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।